Vol 6 Issue 7 August 2016

ISSN No : 2230-7850

International Multidisciplinary Research Journal

Indian Streams Research Journal

Executive Editor
Ashok Yakkaldevi

Editor-in-Chief
H.N.Jagtap

Welcome to ISRJ

RNI MAHMUL/2011/38595 **ISSN No.2230-7850**

Indian Streams Research Journal is a multidisciplinary research journal, published monthly in English, Hindi & Marathi Language. All research papers submitted to the journal will be double - blind peer reviewed referred by members of the editorial board.Readers will include investigator in universities, research institutes government and industry with research interest in the general subjects.

Regional Editor

Manichander Thammishetty
Ph.d Research Scholar, Faculty of Education IASE, Osmania University, Hyderabad.

Mr. Dikonda Govardhan Krushanahari
Professor and Researcher ,
Rayat shikshan sanstha's, Rajarshi Chhatrapati Shahu College, Kolhapur.

International Advisory Board

Kamani Perera
Regional Center For Strategic Studies, Sri Lanka

Janaki Sinnasamy
Librarian, University of Malaya

Romona Mihaila
Spiru Haret University, Romania

Delia Serbescu
Spiru Haret University, Bucharest, Romania

Anurag Misra
DBS College, Kanpur

Titus PopPhD, Partium Christian University, Oradea,Romania

Mohammad Hailat
Dept. of Mathematical Sciences, University of South Carolina Aiken

Abdullah Sabbagh
Engineering Studies, Sydney

Ecaterina Patrascu
Spiru Haret University, Bucharest

Loredana Bosca
Spiru Haret University, Romania

Fabricio Moraes de Almeida
Federal University of Rondonia, Brazil

George - Calin SERITAN
Faculty of Philosophy and Socio-Political Sciences Al. I. Cuza University, Iasi

Hasan Baktir
English Language and Literature Department, Kayseri

Ghayoor Abbas Chotana
Dept of Chemistry, Lahore University of Management Sciences[PK]

Anna Maria Constantinovici
AL. I. Cuza University, Romania

Ilie Pintea,
Spiru Haret University, Romania

Xiaohua Yang
PhD, USA

......More

Editorial Board

Pratap Vyamktrao Naikwade
ASP College Devrukh,Ratnagiri,MS India

R. R. Patil
Head Geology Department Solapur University,Solapur

Rama Bhosale
Prin. and Jt. Director Higher Education, Panvel

Salve R. N.
Department of Sociology, Shivaji University,Kolhapur

Govind P. Shinde
Bharati Vidyapeeth School of Distance Education Center, Navi Mumbai

Chakane Sanjay Dnyaneshwar
Arts, Science & Commerce College, Indapur, Pune

Awadhesh Kumar Shirotriya
Secretary,Play India Play,Meerut(U.P.)

Iresh Swami
Ex - VC. Solapur University, Solapur

N.S. Dhaygude
Ex. Prin. Dayanand College, Solapur

Narendra Kadu
Jt. Director Higher Education, Pune

K. M. Bhandarkar
Praful Patel College of Education, Gondia

Sonal Singh
Vikram University, Ujjain

G. P. Patankar
S. D. M. Degree College, Honavar, Karnataka

Maj. S. Bakhtiar Choudhary
Director,Hyderabad AP India.

S.Parvathi Devi
Ph.D.-University of Allahabad

Sonal Singh,
Vikram University, Ujjain

Rajendra Shendge
Director, B.C.U.D. Solapur University, Solapur

R. R. Yalikar
Director Managment Institute, Solapur

Umesh Rajderkar
Head Humanities & Social Science YCMOU,Nashik

S. R. Pandya
Head Education Dept. Mumbai University, Mumbai

Alka Darshan Shrivastava
Shaskiya Snatkottar Mahavidyalaya, Dhar

Rahul Shriram Sudke
Devi Ahilya Vishwavidyalaya, Indore

S.KANNAN
Annamalai University,TN

Satish Kumar Kalhotra
Maulana Azad National Urdu University

Address:-Ashok Yakkaldevi 258/34, Raviwar Peth, Solapur - 413 005 Maharashtra, India
Cell : 9595 359 435, Ph No: 02172372010 Email: ayisrj@yahoo.in Website: www.isrj.org

ISSN: 2230-7850 Impact Factor : 4.1625(UIF) Volume - 6 | Issue - 7 | August - 2016

ISRJ Indian Streams Research Journal

उत्तराखण्ड की लोहार जाति : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन

विवेक कश्यप[1] , डॉ. बीना संकलानी[2]
[1]शोध छात्र ,मानव विज्ञान विभाग हे.न.ब.ग. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड.
[2]एसोसियेट प्रोफेसर , मानव विज्ञान विभाग हे.न.ब.ग. केन्द्रीय विश्वविद्यालय, श्रीनगर गढ़वाल, उत्तराखण्ड.

सारांश–
प्रस्तुत शोध पत्र के माध्यम से गढ़वाल में लोहार जाति या गड़िया लोहार के जीवन में होने वाली आर्थिक, सामाजिक, राजनैतिक, पारिवारिक एवं स्वास्थ्य समस्याओं तथा बदलते परिवेश में उनके काम पर पड़ने वाले प्रभाव को प्रस्तुत किया गया हैं। यह जाति घुमक्ड़ जाति के रूप में भी जानी जाती हैं, जो भारतवर्ष के विभिन्न राज्यों में निवास करती हैं। लोहार जाति का जीवन बड़ा कष्ट पूर्ण होता हैं। इनका रहन–सहन तथा रोजगार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा इनके काम को बहुत नुकसान पहुँचा रही हैं। लोहार जाति में शिक्षा की कमी होने से इन्हे स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओं एवं सरकार द्वारा चलाये जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों की जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती है, जिस कारण ये लोग सरकार द्वारा प्राप्त होने वाली सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं।

कुंजी शब्द – लोहार, संस्कृति, स्वास्थ्य

ऐतिहासिक पृष्ठभूमि–.

लोहार संस्कृत शब्द 'लौहकार' से लिया गया है, जिसका अर्थ लौहे का कार्य करने वाला हैं। भारत के उत्तराखण्ड राज्य में निवास करने वाली लोहार जाति उत्तराखण्ड की लौह शिल्पी हैं। इनका प्रमुख कार्य कृषि सम्बन्धी औजारों, युद्ध सम्बन्धी हथियारों, घरेलू उपकरणों एवं ढोल–दमांऊ जैसे वाद्य यंत्रो को भी ये लोग बनाते है। इनका मानना है, कि मुख्य वाद्य ढोल 'ढोल सागर' को कलुवा नाम के लोहार ने तैयार किया था।1 राजस्थान में इन्हें गड़िया लोहार (जो निवास एवं यात्रा करने के लिए खुली गाड़ियों का प्रयोग करते हैं।) कहा जाता है कि लोहार जाति भारत तथा उसके पड़ोसी देश पकिस्तान, नेपाल, बंग्लादेश, ईरान, अफगानिस्तान में कबीलों की तरह रहती हैं। भारत में लोहार जाति पारम्परिक रूप से खानाबादोश समुदाय के रूप में जानी जाती है एवं घुमक्कड़ों की तरह अपना जीवन व्यतीत करती है। ''लोहार जाति भारत के 68 जिलों में फैले हुई हैं। वे उत्तर प्रदेश (2.1 करोड़), बिहार (1 लाख), झारखंड (200,000), मध्य प्रदेश (9,40,000), उड़ीसा (9,00,000), महाराष्ट्र (5,10,000), हरियाणा (370,000), गुजरात (350,000), राजस्थान (3,30,000 में रहते हैं), पंजाब (210,000), हिमाचल प्रदेश (170000) तथा पश्चिम बंगाल (230,000) हैं।''2 इस जाति को भारत के कुछ राज्यों (बिहार, उत्तराखण्ड, पश्चिम बंगाल, हिमाचल प्रदेश इत्यादि) में अनुसूचित जाति में रखा गया है एवं कुछ राज्यों (उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, केरल, अन्ध्रप्रदेश, राजस्थान, झारखण्ड, गुजरात इत्यादि) में इन्हें अन्य पिछड़ा वर्ग में रखा गया है। लोहार जाति का मुख्य मूलनिवास स्थान राजस्थान को माना जाता हैं। लोहार जाति को अन्य नामों जैसे गाड़ोलिया लोहार, गढ़ी लोहार, गड़िया लोहार से पुकारा जाता हैं। लोहार जाति को सामाजिक स्तर पर विद्वानों ने व्यवसायों की प्रकृति के आधार पर शिल्पकार वर्ग की विभिन्न उपजातियों में विभाजित किया है, लेकिन लोहार वर्ग को व्यावसायिक प्रकृति की दृष्टि तीन भागों में विभाजित किया है, 1. हस्त–शिल्पी वर्ग, 2– वादक–नर्तक वर्ग, 3– ग्राम–सेवक वर्ग। इन वर्गो में वे शिल्पकार उपजातियां शामिल है, जिन्होने हस्त कौशल के द्वारा उत्तरांचल की शिल्पकला को समृद्ध किया। इनमें मुख्य जातियां इस प्रकार है, कोहली, टमटा, ओजी, मिस्त्री, सुनार, बैड़ी, अगरिया, धनौरिया, खतौनिया, धौणी/धुनेर, छिपी, कोली, चिमियार ओढ़ मिस्त्री खैरी, हनाकिया है।3

लोहार समुदाय की उन्नति के लिए भारतीय समाज को आगे आना होगा और इन्हे समाज की मुख्यधारा से जोड़ना होगा। प्रचलित तथ्यों के आधार पर ऐसा प्रतीत होता है, कि लोहार जाति को राजस्थान के 'गड़िया लोहार' के रूप में जाना जाता हैं। गड़िया लोहार हिन्दू राजाओं के लिए 'कवच जाली' व युद्ध में प्रयोग होने वाले हथियारों को बनाते थे। इस जाति को महाराणा प्रताप के वशंज के रूप में भी जाना जाता हैं। सन् 1576 ई0 में हल्दीघाटी के युद्ध से लेकर सन् 1584 ई0 तक महाराणा प्रताप जी ने मेवाड़ के 85 फीसदी हिस्से पर कब्जा कर लिया था। तब मुगल शासक अकबर ने अपनी अधीनता स्वीकार करने के बदले में आधा हिन्दूस्तान देने का महाराणा प्रताप जी को लालच दिया। लेकिन स्वाभिमानी राणा प्रताप जी ने उनके इस प्रस्ताव को कभी नहीं स्वीकार किया, एवं आजीवन सघंर्ष करते रहे। वे अपनी प्रजा से बहुत प्रेम करते थे, एवं उनकी प्रजा भी उन से उतना ही प्रेम एवं उनका सम्मान करती थी। जब महाराणा प्रताप जी का शासन नहीं रहा तब उन्होने प्रतिज्ञा ली कि मैं एक स्थान पर तब तक नहीं रहूगाँ जब तक मैं अपना शासन

पुनः प्राप्त नहीं कर लूँगा। इसलिए लोहार जाति के लोग आज भी उनके द्वारा एक स्थान पर ना रहने के वचन को निभा रहे हैं जिसके कारण ये लोग आज भी खानाबादोश की तरह जीवन व्यतीत कर रहे है, परन्तु वर्तमान समय इनकी जीवन शैली में यह बदलाव आया है, कि अब ये लोग जीविकोपर्जित कार्य करने के बाद अपने निवास स्थान पर पुनः लौट आते हैं।4

उत्तराखण्ड के गढ़वाली लोहार (संस्कृति, परम्परा एवं आर्थिक स्थिति) – उत्तराखण्ड की गढ़वाली संस्कृति एवं परम्पराओं के अनुसार लोहार जाति की हर गाँव में अपनी एक अलग पहचान होती हैं तथा हर एक गाँव में उत्तराखण्ड के एक या दो लोहार परिवार होते हैं। उत्तराखण्ड की जनश्रुतियो के अनुसार वनवास के समय जब पांडव उत्तराखण्ड में आये थे तो उत्तराखण्ड के लोहार–शिल्पकारों के पूर्वज 'कलिया लोहार' ने पांडवों के अस्त्र–शस्त्रों की मरम्मत की थी तथा उन पर धार लगाई थी। तब से उत्तराखण्ड के लोहार जब अपनी 'अणुशाला' (अग्निशाला) में लोहे की वस्तु बनाना आरम्भ करते है, तो सबसे पहले एक जला हुआ कोयला कलिया लोहार को अर्पित करते है।5 गढ़वाल के पांडव नृत्य में भी कलिया लोहार का जिक्र आता हैं। इस नृत्य में 'कलिया लोहार' 'सनेसी' (चिमटा) लेकर भावात्मक नृत्य करता हैं। 6

लोहार जाति के लोग अपने–अपने लिए कुछ गाँव को चिन्हित कर लेते है, और उन गाँवो में जाकर वहाँ के लोगो के खुरदरे या प्रयोग करने के कारण समय के साथ कुंदे हो गए औजार कों अपने घर ले आते है, और उन्हे ठीक–ठाक करके फसल कटाई के समय फिर उन्हीं गाँव में जा कर उन लोगों के औजारों को जैसे दरांती, कोदाल, कुल्हाड़ी, बसुला, इत्यादि को वापस करके घर लौट जाते है। फिर जब उस गाँव के लोग अपनी फसलों को पकने के बाद काट कर अपने घरो में ले आते हैं, तब उस गाँव के लोग उन्हे अन्य लोगो के द्वारा संदेश भेजते है, कि अपने प्रतिफल (जिसे स्थानीय भाषा में 'डडवार' कहते हैं) यानी फसलो का थोड़ा–थोड़ा हिस्सा लेकर जाये।8 उस दिन उसी गाँव में उनका खाना–पीना भी होता हैं। जब गाँव में लड़कियों का विवाह होता है, तब लोहार समुदाय को भी अमन्त्रित किया जाता है। लोहार समुदाय उस गाँव की लड़की को जिसका विवाह है, उसे 'दीशा' नाम से पुकारते है, और वे उस लड़की के लिए गाँव के रीतिरिवाज के अनुसार उपहार के तौर पर कुछ औजार ले जाते है जो की अनिवार्य होता है, जैसे– दरांती, जांती, पोली (जिससे दूध निकाला जाता है) आदि। भले ही आज आधुनिक समय में लोग इन चीजों से दूर हो चुके है फिर भी गाँव में आज भी इन औजारों को देने की परम्परा निभाई जाती हैं। जब उस गाँव में कोई लड़की शादी करके यानि अपने ससुराल आती है, तो उस गाँव के पंडित की सूची के अनुसार लोहार समुदाय को दक्षिणा के रूप में रूपये–पैसे दिये जाते हैं। इनके रीतिरिवाज में पंडित द्वारा निर्धारित की गई सूची के अनुसार ही रूपये पैसे दिये जाते है, जो अधिक दिया जा सकता है, परन्तु उससे कम नहीं।

लोहार जाति के परिवार के लोग संयुक्त परिवार में ही रहना पंसद करते है एवं अधिकतर इनके परिवारों का स्वरूप सयुंक्त परिवार के रूप में ही मिलता हैं। लोहार जाति में पुराने समय में वधु मूल्य प्रथा चलती थी, जो बदलते समय के साथ अब यह प्रथा पूर्ण रूप से समाप्त हो गई हैं। इनके विवाह कार्यक्रम में बिना निमंत्रण के समुदाय का कोई भी सदस्य शमिल हो जाता है। उनका का भी सम्मान एवं स्वागत किया जाता हैं। इस समुदाय की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण ये अपने परिवार की लड़की को किसी प्रकार का दान–दहेज नहीं दे पाते और ये साधारण तौर पर अपने बच्चों का विवाह करते हैं। इनके पास जगह की कमी होने के कारण यह रात भर भजन कीर्तन करते रहते हैं। जब ये अपनी लड़की की विदाई करते हैं, तो जो इनके देव स्थान होते है, उस देव स्थान को ये 'थान' कहते है। इनका मानना है कि उनके कुल देवी–देवता नरसिंह, डोडिया, खेत्रपाल, काली, भैरवनाथ, अन्य देवी–देवताओं से अधिक शक्तिशाली होते है। यह उस समय लड़की को उस स्थान पर रोने नहीं देते है। केवल भेंट, वर–वधू द्वारा 'थान' पर रखी जाती हैं, क्योकि लड़की अपने कुल देवी–देवता से भी विदाई लेती है। अगर लड़की वहाँ रो देती है, तो इनकी मान्यताओं के अनुसार इनके कुल देवी–देवता लड़की के साथ ही उसके ससुराल चले जाते है, फिर उस परिवार को कठनाईयों का सामना करना पड़ता हैं। इस कारण लड़की को विदाई के वक्त उस स्थान पर रोने से मना किया जाता हैं। गाँव के अन्य जातियो के लोग इन्हे निकृष्ट समझ के इन्हे और इनके रिश्तेदारो को अपने घरों में आने की अनुमति नहीं देते है, इसलिए इन्हे अपने महमानों के रहने की व्यवस्था खुद करनी पड़ती हैं। गाँव के अन्य जाति के लोग इनके शादी ब्याह में शामिल नहीं होते हैं। लोहार समुदाय के पास कृषि योग्य भूमि की कमी भी होती हैं। जिसके कारण वे अपने अजीविका के लिए छोटे व्यवसाय पर निर्भर रहते हैं।

लोहार जाति की महिलाओं का पहनावा

लोहार जाति द्वारा निर्मित उपकरण– लोहार शिल्पकारों की अपने निवास स्थान के पास छोटी सी लौहशाला होती है। जिसे ये 'आफर' (भट्टी) कहते हैं। इनके द्वारा निर्मित औजारों एवं घरेलू उपकरणों में दरांती, कुल्हाड़ी, बसुली, हथौड़ी, कुदाल, फाल, छेनी, नियाण, मक्कू, घन, गुलमेंघ, परेख (कील), संगल, फरसा, तलवार, खुखरी, तीर, बरछे, त्रिशूल, चिमटा, धनुष, आदि प्रमुख हैं। लोहार द्वारा निर्मित वस्तुओं के समान ही इनकी उपजातियां है, जैसे लौहे के कढ़ाहे (भदेली) बनाने वाले 'भदेलिया' और तीर धनुष आदि शास्त्र बनाने वाले

'तिरूवा' कहलाते हैं।

लोहार जाति द्वारा निर्मित औजार

लोहार जाति की महिलाएं घर का काम करने के साथ–साथ इनके व्यवसाय में भी हाथ बटाती हैं

लोहार जाति की महिला द्वारा व्यवसाय में भाग लेना

लोहार जाति की समस्याएं–

आर्थिक समस्याएं– लोहार जाति की वर्तमान समय में सामााजिक स्थिति इस प्रकार की है, कि उन्हे रोज कुआँ खोद कर पानी पीना पड़ता हैं। इनका जीवन बहुत मेंहनतकश होता है। इनको आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्योकी इन्हे अपने काम का उचित मूल्य नहीं मिल पाता है, एवं बाजारो में बढ़ती प्रतिस्पर्धा के कारण इनके समान को उतना अधिक महत्व नहीं मिलता है, जिसके कारण इन्हे गरीबी में जीवन व्यतीत करना पड़ता है। इस समुदाय की आर्थिक समस्या का प्रमुख कारण सरकार द्वारा चलाये जा रहे विकास कार्यक्रमो की जानकारी ना होना एवं शिक्षा के स्तर में कोई अधिक सुधार ना होना भी हैं।

सामाजिक समस्यायें– लोहार जाति को आर्थिक समस्याओं के साथ–साथ सामाजिक समस्याओं का भी सामना करना पड़ता हैं। सामाजिक परिवेश में इन्हे शूद्र / निकृष्ट (स्थानीय भाषा में 'डूम') के रूप में देखा जाता हैं। इस कारण ये समाज में उपेक्षित जीवन जीते रहते हैं, एवं भारतीय समाज के निम्न वर्गो में इन्हे उपेक्षा की दृष्टि से देखा जाता है। वही इनके समाजिक कार्यो में लोगों की कोई रूचि नहीं रहती हैं। इस कारण यह जाति समाज की मुख्य धारा से कटी रहती है, एवं समाज से अलग–थलग जीवन व्यतीत करने के लिए विवश रहते हैं।7

राजनैतिक समस्याये– इस जाति के लोगो में शिक्षा की कमी होने के कारण सामाजिक स्तर पर एवं राजनैतिक स्तर पर इनका प्रतिनिधित्व करने लिए कोई अपना प्रतिनिधि नहीं हैं। जिसके कारण राजनैतिक स्तर पर इनकी मांगो को सुनने वाला कोई नहीं है। इस कारण प्रशासन द्वारा प्राप्त हाने वाली सुविधाओं से यह वंचित रह जाते हैं। वर्तमान राजनीति में अधिकतर राजनेता इस समुदाय से राजनैतिक लाभ प्राप्त करने के लिए प्रलोभन एवं झूठे आश्वासनों का प्रयोग करके इनके वोटों का लाभ प्राप्त करते हैं।

परिवारिक समस्याये– इन्हे परिवार में आर्थिक एवं शैक्षिणिक दोनो प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता हैं। इनकी परिवारिक स्थिति कमजोर होने से इनका सामाजिक विकास एवं शैक्षिक विकास प्रभावित होता हैं। शिक्षा की कमी एवं आर्थिक स्थिति सही ना होने से इनकी परिवारिक स्थिति में कोई सुधार नहीं हो पाता हैं।

लोहार जाति की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याये– लोहार जाति कड़ी मेहनत के बावजूद भी गरीबी में अपना जीवन व्यापन करने को विवश है, एवं खानाबादोश की तरह जीवन यापन करने के कारण तथा रास्तो के किनारे धूल एवं प्रदूषण में निवास से इन के स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता हैं। दूसरा कारण सरकार द्वारा चलाई जा रही स्वास्थ्य सम्बन्धी योजनाओं का संज्ञान न होना भी इसका मुख्य कारण हैं, इनकी

स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याएं निम्नलिखित है–

खानाबादोष की तरह अपना जीवन व्यतीत करने से होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्यायें– लोहार समुदाय के लोग घुमक्कड़ो की तरह अपना जीवन व्यतीत करते हैं जिसके कारण इन्हे विभिन्न प्रकार की मौसमी बिमारीयां होने की रहती हैं, जैसे बुखार, जुखाम, निमोनिया, काली खासी, इत्यादि।

पीने के पानी के रख–रखाव से होने वाली स्वास्थ्य सम्बन्धि समस्यायें – निवास स्थान की समस्या के साथ–साथ पीने का पानी रखने की पर्याप्त जगह का न होना तथा उसे खुले में रखने के कारण पानी से होने वाली स्वास्थ्य होने वाली बिमारियां हो जाती है, जैसे– पेचीस, पेट में दर्द होना, शरीर में कमजोरी, पीलिया का होना इत्यादि।

धूल एवं खान–पान की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याओ से होने वाली समस्याये– इनके घर प्रायः टाट, तम्बू, कनात के होते है। जहाँ पर धूल व धुआ इनके खान–पान मे चले जाते है। इसके साथ–साथ कीड़े – मकोड़े, मक्कखी, मच्छरो के आक्रमण का भी सदैव खतरा बना रहता है, इनको बुखार, मलेरिया, हैजा, इत्यादि होने की सम्भावना बनी रहती है।

मादक एवं नषीले का पदार्थ सेवन– अशिक्षित होने के कारण यह मादक एवं नाशीले पदार्थो के सेवन, दुर्व्यसन के शिकार हो जाते है, एवं ये मादक व नशीले पदार्थो का सेवन करते रहते हैं जिसके कारण ये विभिन्न प्रकार की शारीरिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते है। इनके परिवार में बूढ़े लोगो के साथ–साथ घर की कुछ बूढ़ी माहिलाएं भी नशीले पदार्थो का सेवन करती है। इनके स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है। ये अपने परिवार के विकास मे पूर्ण रूप से सहयोग नही दे पाते है।

अन्य समस्याये

इनके निवास स्थान से सम्बन्धित समस्याये– आमतौर पर लोहार जाति के लोग अपने बनाये गये औजारो के व्यापार स्थान को ही अपना निवास स्थान बनाते है, जो रास्तो के किनारो पर अस्थाई घरो के रूप में होते हैं, जो इनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता हैं। इसके कारण इनको धूल एवं प्रदूषण के वातावरण में जीवन व्यतीत करना पड़ता है, जिससे विभिन्न प्रकार की स्वास्थ्य सम्बन्धी समस्याए होती रहती है, जैसे शरीर में दर्द का होना, कमजोरी, सांस की बिमारी, इत्यादि ।

मकान की बनावट या प्रकार– इनके घर आमतौर पर अस्थाई एवं एक झोपड़ीनुमा तम्बू के आकार–प्रकार के होते है। इनकी छतें प्लास्टिक की शीटों से निर्मित होती है। जिससे धूप एवं पानी से बाचाव हो सके। घर का ढचा लकड़ीयों से निर्मित होता हैं, जिनसे प्लासटिक की छत आदि बाधी जाती है, देखने तम्बूनुमा होता है। इनके घरो में कोई दरवाजा नहीं होता है, ये पर्दा लगाकर घर ढकते हैं।

शौचालय से सम्बन्धी समस्याये– शौचालय की सुविधा न होने के कारण इन्हे घर के बहार शुलभ शौचालयो में जाना पड़ता हैं। रात के समय शौचालय बंद होने के कारण इनको खुले मे जाना पड़ता होगा। जो बिमारियां फैलने का एक मुख्य कारण होता है। शुलभ शौचलय मे प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम पांच रूपये देना पड़ता है। जो एक परिवार के लिए काफी महंगा पड़ता है। इस लिए अधिकतर शौच के लिए खुले मे जाते होगे इसकी सम्भवना प्रबल है।

सरकार द्वारा संचालित राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिषन योजना– सरकार द्वारा संचालित वर्तमान समय राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सभी ग्रामीण/शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों, गरीबों, महिलाओं तथा बच्चों के लिये सीधे लाभ पहुँचाने वाली योजनायें–

क्र.सं.	योजना का नाम	लक्ष्य या उद्देश्य
1.	जननी सुरक्षा योजना (JSY)	मातृ मृत्यु दर में कमी तथा संस्थागत प्रसवों को बढ़ना।
2.	जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (JSSK)	गर्भवती महिलाओं/नवजात शिशुओं को सभी सेवायें निशुल्क देना।
3.	खुशियों की सवारी (KKS)	प्रसव बाद महिलाओं/नवजात शिशुओं को घर छोड़ने की निःशुल्क व्यवस्था।
4.	राष्ट्रीय बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (RBSK)	विद्यालय व आंगनवाड़ी में पंजीकृत बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण तथा गंभीर बिमारी से ग्रसित बच्चों का सूचीबद्ध चिकित्सालय में निःशुल्क इलाज।
5.	राष्ट्रीय किशोर स्वास्थ्य कार्यक्रम (RKSK)	विद्यालय व आंगनबाड़ी केन्द्रों में आयरन की गोलियां व सिरप वितरित करना। गाँवीण क्षेत्रों में किशोरियों को उचित कीमत व अच्छी गुणवत्ता वाले नेपकिन (सेनिटरी नेपकिन) उपलब्ध कराना।
6.	गाँव स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस (VHND)	आंगनबाड़ी केन्द्रों में ए0एन0सी0 व प्रतिरक्षण की सेवायें देना।
7.	राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (RSBY)	बी0पी0एल0 परिवार को 30000.00रू0 तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ।
8.	सचल चिकित्सा वाहन (MHV)	दूरस्थ क्षेत्रों में स्वास्थ्य कैम्प का आयोजन।
9.	आशा कार्यक्रम	आशाओं का समय–समय पर प्रशिक्षण।
10.	परिवार कल्याण कार्यक्रम	महिला व पुरूष नसबंदी तथा परिवार नियोजन के तरीको की जानकारी व सेवायें निशुल्क उपलब्ध कराना।

11.	सम्पूर्ण प्रतिरक्षण	सभी नवजात बच्चो का सम्पूर्ण टीकाकरण।
12.	समन्वित रोग निगरानी कार्यक्रम (IDSP)	महमारी निगरानी एवं रोकथाम।
13.	पुनरिक्षित राष्ट्रीय क्षय नियंत्रण कार्यक्रम (RNTCP)	टी0बी0 मरीजों का चिन्हींकरण एवं इलाज।
14.	राष्ट्रीय वैक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम (NVBDCP)	मलेरिया एवं डेंगू की रोकथाम।
15.	राष्ट्रीय कुष्ठ उन्मूलन कार्यक्रम (NLEP)	कुष्ठ मरीजों का चिन्हींकरण एवं इलाज।
16.	राष्ट्रीय अन्धता निवारण कार्यक्रम (NPCB)	निःशुल्क मोतिया बिन्दु आपरेशन/चश्में विवरण।
17.	पी0सी0पी0एन0डी0टी0 (PCPNDT)	प्रसव पूर्व भ्रूण का लिंग जांचना/चयन दण्डनीय अपराध हैं

सरकार द्वारा अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति संचालित की जा रही योजना – सरकार द्वारा संचालित समाज कल्याण विभाग जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड द्वारा याजनाओं का विवरण निम्नलिखित हैं।

1. वृद्धावस्था पेंशन योजनाः– ऐसे व्यक्ति जिसकी उम्र 60 या उससे अधिक हो तो उसे वृद्धावस्था पेंशन दी जाती हैं।

पेंशन चयन प्रक्रिया– गाँव पंचायत की खुली बैठक में पात्र व्यक्ति का चयन किया जाता हैं।

शहरी क्षेत्र– शहरी क्षेत्र में पेंशन स्वीकृति का अधिकार पूर्व की भांति सम्बन्धित तहसील के उपजिला अधिकारी को हैं 60 वर्ष से अधिक के वृद्धाओं को रू0 800/– प्रतिमाह व आयु के पात्र वृद्धाओं को वित्तीय वर्ष जनवरी 2014 से रू0 800/– प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्राविधान हैं।

पात्रता– प्रार्थी की उम्र 60 या उससे अधिक हो 2. प्रार्थी का कोई पुत्र/पौत्र 20 या 20 वर्ष से अधिक आयु का है और बी.पी.एल. के अन्तर्गत आते हों तो पात्रता के अर्न्तगत होंगे, 3. प्रार्थी की मासिक आय सभी स्रोतो से 4000 से अधिक न हों गाँवीण क्षेत्रों में भूमि ढाई एकड़ से अधिक न हो।

औपचारिकताऐं– 1. आय प्रमाण पत्र तहसील स्तर का (वर्तमान समय का) 2. परिवार रजिस्टर की नकल (आयु तथा परिवार के सदस्यों की जानकारी हेतु) 3. गाँव पंचायत की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति, 4. आवेदन पत्र पर प्रमाणित फोटो।

2. राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजनाः– इस योजना के अर्न्तगत गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य साधक के मृत्यु होने पर मृतक के उत्तराधिकारी को रू0 20000/– आर्थिक सहायता दिए जाने का प्राविधान हैं।

पात्रताः– 1. मृतक की उम्र 18 वर्ष से कम 64 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए 2. केवल बी.पी.एल. के अन्तर्गत हों।

औपचारिकताऐं– आय प्रमाण पत्र 2. मृत्यु प्रमाण पत्र पंचायत मंत्री द्वारा प्रदत्त 3.परिवार रजिस्टर नकल एवं आवेदन पत्र पर प्रमाणित फोटो 4. मुख्य अधिकारी का प्रमाण पत्र।

3. अनुसूचित जाति की पुत्रियों को शादी हेतु अनुदानः– इस योजना के अर्न्तगत गरीब अनु0 जाति के व्यक्तियों की दो पुत्रियों को ही शादी हेतु रू0 50000/– आर्थिक सहायता दिये जाने का प्रविधान हैं।

पात्रताः– आवेदक की वार्षिक आय रू0 15000/– अधिक नहीं होनी चाहिए।

औपचारिकताऐं– 1. आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से 2. वर एवं वधू की परिवार की रजिस्टर की नकल 3. शादी कार्ड एवं विवाह प्रमाण–पत्र गाँव प्रधान से 4. बी.पी.एल. परिवार का हो तो विकासखण्ड अधिकारी द्वारा प्रदत्त बी.पी.एल. प्रमाण–पत्र।

4. अनुसूचित जाति के परिजनों के बीमार इलाज हेतु अनुदानः–इस योजना के अर्न्तगत गरीब, अनु0 जाति के व्यक्तियों को गम्भीर बीमारी के ईलाज हेतु चिकित्साधिकारी की संस्तुति पर रू0 10000/– आर्थिक सहायता दिये जाने का प्राविधान हैं।

पात्रताः– आवेदक की वार्षिक आय रू0 15000/– से अधिक नहीं होनी चाहिए अथवा बी0पी0एल0 श्रेणी में हो।

औपचारिकताऐं– 1. आय एवं जाति प्रमाण पत्र तहसीलदार से (वर्तमान समय का) 2. निर्धारित आवेदन पत्र पर चिकित्साधिकारी की संस्तुति 3. परिवार की रजिस्टर की नकल।

5. छात्रवृत्ति– अनु0जाति/अनु0जनजातिः– कक्षा 1 से 5 तक अनु0जाति/ अनु0जनजाति के समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दिये जाने का प्राविधान हैं 1से 5 में रू0 50/– 6 से 8 में रू0 80/– मासिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाति हैं कक्षा 9 व 10 में छात्रवृत्ति पात्रता हेतु वार्षिक आय रू0 200000/– निर्धारित है कक्ष 9 से 10 तक में रू0 150/– प्रतिमाह की दर से छात्रवृत्ति तथा रू0 750/– प्रतिवार्षिक तदर्थ अनुदान दिये जाते हैं।

7. अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनाः– इसमें छात्रवृत्ति की पात्रता हेतु अभिभावक की वार्षिक आय रू0 250000/– से निर्धारित हैं। इस योजना में पात्र छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति व अनिवार्य शुल्कों का भुगतान किये जाने का प्राविधान योजना में दर समूह छात्रवृत्ति की दरें निम्नवत् निर्धारित है–

समूह	छात्रवृत्ति की दर प्रति	छात्रवृत्ति
समूह I	1200 / –	550 / –
समूहII	820 / –	530 / –
समूहIII	570 / –	300 / –
समूहIV	380 / –	230 / –

8. अटल आवास योजनाः– इस योजना में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत आवास विहीन परिवारों की आवासीय सुविधा प्राप्त कराने के उद्देश्य से आवास निर्माण हेतु पर्वतीय क्षेत्रों रू0 38500 / – तथा मेंदानी क्षेत्रों में रू0 35000 / – अनुदान स्वरूप प्रदान की जाती हैं।

पात्रता– 1. लाभार्थी अनुसूचित जाति या जनजाति आवास विहीन परिवार का होना अनिवार्य हैं। 2. आवेदनकर्त्ता को गाँव विकास विभाग द्वारा संचालित इन्दिरा आवास योजना दीनदयाल उपाध्याय आवास योजना, क्रेडिट कम सब्सडी आवास योजना तथा अन्य किसी शासकीय आवास योजना के अन्तर्गत लाभ प्राप्त न किया हो। 3. स्वयं की भूमि होने का प्रमाण पत्र तहसील द्वारा प्रदत्त होना चाहिए तथा खण्ड विकास अधिकारी द्वारा आवास विहीन होने का प्रमाण पत्र। 4. आय प्रमाण पत्र रू0 32000 / – वार्षिक तहसील प्रदत्त अथवा बी0पी0एल0 खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त होना अनिवार्य हैं।

9. अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति बाहुल्य गाँव में अव्यवस्थापना का विकासः– 40 प्रतिशत से अधिक अनु0 जाति गाँवों में जो मूल भूत सुविधाऐं करायी जाती हैं वहां पर विभाग द्वारा मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती है, (जैसे सड़क, पेयजल, पुल, विद्युत, सिचाई, बारातघर मिलन केन्द्र इत्यादि।)

10. अनु0जाति अत्याचार उत्पीड़न योजनाः– इस योजना के अन्तर्गत अनु0जनजाति के व्यक्ति का उत्पीड़न अनु0जाति / जनजाति से भिन्न जाति के व्यक्ति द्वारा किये जाने पर जांच रिर्पोट के आधार पर अनुमान्य धनराशि का 25 प्रतिशत तत्काल एवं 75 प्रतिशत न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध होने पर भुगतान किया जाता हैं।

11. परीक्षा पूर्व कोचिंगः– अनुसूचित जाति एवं अनु0जनजाति के अध्ययनरत छात्रों की 10से 12 में विद्यालय स्तर अंग्रेजी गणित विज्ञान विषयों में कोचिंग कक्षायें संचालन किया जाता हैं। इसमें कम से कम 10 छात्र होने चाहिए। जिस विद्यालय में उक्त कक्षाओं में 10 छात्र होंगे वहां कोचिंग कक्षायें संचालित की जाती हैं। कोचिंग संचलान हेतु विभाग द्वारा विद्यालय के अध्यापकों को मानदेय का भुगतान किया जाता हैं।

अन्तर्जातीय एवं अन्तधार्मिक विवाह योजनाएः– इस योजना के अन्तर्गत एक धर्म के युवक / युवती द्वारा दूसरे धर्म में शादी करने पर पुरस्कार स्वरूप रू0 10000 / – दिया जाता हैं।

महिला कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित समस्त योजनाओं का विवरण :–

(1)गौरा देवी कन्याधन योजना :– गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार की ग्रामीण क्षेत्रों में निवासरत समान्य जाति बी0पी0एल0 परिवार की बालिकाओं अथवा ऐसी बालिकायें जिनके अभिभावक की वार्षिक आय ग्रामीण क्षेत्रों में रू015979 / – तथा शहरी क्षेत्रों में रू0 21206 / – है, परिवार की उक्त योजनान्तर्गत पात्रता सीमा में आयेंगे। गौरा देवी कन्याधन योजना के अन्तर्गत वर्ष 2014 में उत्तीर्ण बालिकाओं को समिति द्वारा चयनित 1– छात्रोओं के नाम पाँच वर्ष का राष्ट्रीय बचत पत्र अथवा पाँच वर्ष का सावधी जमा पत्र बनाया जायेगा।

(2) विधवा पेंशन योजनाः– शहरी क्षेत्र में स्वीकृति का अधिकारी सम्बन्धित तहसील के उपजिलाधिकारी को हैं। इस योजना के 40 वर्ष से 60 वर्ष तक ही विधवा महिलाओं को रू0 800 / – प्रतिमाह व आयु के पात्र विधवा महिलाओं को वित्तीय वर्ष जनवरी 2014 से रू0 800 / – प्रतिमाह पेंशन दिये जाने का प्रविधान हैं।

पात्रता– प्रार्थी की उम्र 18 से 60 तक होनी चाहिए। तथा पुत्र 20 या 20 वर्ष से अधिक आयु का हैं, और बी0पी0एल0 श्रेणी के अन्तर्गत आते हो तो पात्रता के अन्तर्गत होगें, यदि प्रार्थी की मासिक आय रू0 4000 / – तक हो तो और पुत्र 20 वर्ष से अधिक आयु का हो तो पात्रता की श्रेणी में नहीं होगें।

औपचारिकताऐं–

1.आय प्रमाण पत्र रू0 4000 / – तक का तहसीलदार द्वारा अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त।
2.परिवार रजिस्ट्रर भाग दो की नकल (आयु तथा परिवार के सदस्यों की जानकारी हेतु)।
3.गाँव पंचायत की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति।
4.आवेदन पत्र पर प्रमाणित फोटो।
5.पति का मृत्यु का प्रमाण पत्र।
6.बैंक / पो0आ0 का खाता संख्या।

(3) विधवा पुनर्विवाह अनुदान :– इस योजना के अर्न्तगत 18 वर्ष से 35 वर्ष तक की विधवाओं से विवाह करने पर रू0 11000 / – का अनुदान दिया जाता हैं।

परित्यक्तता महिला की पुत्री शादी हेतु अनुदान :– परित्यक्तता विवाहित एवं मानसिक रूप से विकृत व्यक्ति अथवा उनकी पत्नी की पुत्री के विवाह हेतु अनुदान योजना के तहत विवाह हेतु रू0 50000 / – का अनुदान दिया जाता हैं।

परित्यक्तता पेंशन :– परित्यक्तता विवाहित महिला एवं मानसिक रूप विकृत की पत्नी को विभाग द्वारा रू0 400/– प्रतिमाह की दर से परित्यक्तता पेंशन दी जाती हैं।

औपचारिकताऐं–

1.आय प्रमाण पत्र रू0 4000/– तक का तहसीलदार द्वारा अथवा बी0पी0एल0 प्रमाण पत्र खण्ड विकास अधिकारी द्वारा प्रदत्त ।
2.परिवार रजिस्ट्रर भाग दो की नकल आयु तथा परिवार के सदस्यों की जानकारी हेतु।
3.गाँव पंचायत की खुली बैठक में चयनित प्रस्ताव की प्रति।
4.आवेदन पत्र पर प्रमाणित फोटो।
5.विवाह विछेद प्रमाण–पत्र।

महिला प्रशिक्षण छात्रवृत्ति उच्च शिक्षा हेतु अनुदान :– उक्त योजना में बी0पी0एल0 परिवार की सामान्य जाति की बालिकाओं हेतु छात्रवृत्ति प्रदान की जाती हैं।10

वर्तमान स्थिति :– वर्तमान समय में उत्तराखण्ड के गढ़वाली लोहार के जीवन में बदलते समय के साथ–साथ कार्य करने के तरीकों में भी बदलाव आया है। ये अपनी भट्‌टी में प्रयोग होने वाली फुकनी (भट्‌टी को हवा देने वाला यंत्र) को अब बैटरी से संचालित करते है। जिससे इन्हे अपने कार्य में धुआ कम लगता है। परन्तु पारम्पारिक औजार बनाने के कारण इन्हे ग्रामीण व शहरी इलाकों में आधुनिक औजारो व उपकरणों के चलते इन्हे अपने औजारों का उचित मूल्य नहीं प्राप्त हो पाता है। इस कार्य को करने मे इनकी आर्थिक स्थिति सही नही रहती है। इसके चलते यह लोग अब अपना पारम्परिक कार्य को छोड़ने तथा दूसरे काम करने को विवश है, एवं यह लोग अपने बच्चों को भी इस कार्य को नही करने देना चहते है। इसका मुख्य कारण इनके कार्य को समाज मे निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता है। अब इन्होनें अपने बच्चो को पढ़ाना शुरू कर दिया है। पहले इन लोगो को इनके कार्य के बदले अनाज या पैसे दिये जाते थे। परन्तु बदलते परिवेश के साथ इन्होंने अपने कार्य को व्यवसायीकरण कर अपने कार्य के बदले रूपये–पैसे लेना शुरू कर दिया एवं अब यह लोग अनाज नही लेते है, एवं बदलते समय के साथ इनके सांस्कृतिक, पारम्पारिक स्थिति में भी परिर्वतन हो रहा है।

निष्कर्ष/सुझाव – आज के बदलते हुए परिवेश में गढ़वाली लोहार के जीवन में भी बदलाव आया हैं, क्योकी सामाजिक तानेबाने में रची–बसी इनकी परम्परा एवं इनके संस्कृती में परिर्वतन आया है, और इनकी आर्थिक स्थिति एवं शैक्षणिक स्थिति में भी थोड़ा बदलाव आया हैं। इनकी सामाजिक स्थिति में कुछ सुधार आया हैं। परन्तु अभी भी सुधार की आवश्यकता है। इस समाज के लोग अधिकतर अशिक्षित है, एवं इनकी स्वास्थ्य समस्याये भी रहती है। सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों की जानकारी मुहैया कराना तथा इनके रोजगार को आर्थिक रूप से लाभदायक बनाने के लिए सरकारी एवं गैरसरकारी सस्थाओं को नये कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। इस समाज के सदस्यो को अपनी सामाजिक पहचान बनाने की स्वंय चेष्टा करनी होगी। सांस्कृतिक एवं आर्थिक स्तर पर एक पहचान दिलाने के लिए कार्यक्रमों को आयोजित करना होगा, जिससे इनकी सामाजिक, आर्थिक, एवं परिवारिक स्थिति सुदृढ़ करने मे सहायक हो सके।

सन्दर्भग्रन्थ सूची –

1– नौटियाल, शिवानन्द, 1981 गढ़वाल के लोकनृत्यगीत। प्रयाग, हिन्दी साहित्य सम्मेंलन। (पेज न0. 337)
2– Date- 5/7/2016 www.peoplegroupsindia.com/profilesa/lohar/
3–रतूड़ी, हरिकृष्ण, 1980 गढ़वाल का इतिहास। पुनर्मुद्रित। टिहरी, भागीरथी प्रकाशन। राम, जगजीवन, 1981, भारत में जातिवाद और हरिजन समस्या। दिल्ली, रामा राम एण्ड सन्स। (पेज न0. 89–92)
4– सोहन लाल का सक्षात्कार जोकि पेशे से एक लोहार है और ये उत्तराखण्ड के पौड़ी जिले में श्रीनगर शहर के निवासी हैं (दिनांक–21/2/2016 समय 12:37)।
5– डाबराल, एस.पी.,1971 उत्तराखण्ड का इतिहास, भाग–4, दोगड़ा वीरगाथा प्रकाशन। (पेज0 न. 107)
6– नौटियाल, शिवानन्द, 1981 गढ़वाल के लोकनृत्यगीत। प्रयाग हिन्दी साहित्य सम्मेंलन। (पेज0 न. 129)
7–Gairola, Tara Datt.1922 The castesa and sub-castesa in Garhwal, Journal of the U.P. Historical Socity, 15:38-48. (P. 47)
8–नेगी एस.एस. एवं खत्री सिंह जसपाल, 2006 उत्तरांचल की लोक–संस्कृति के संरक्षक–शिल्पकार (एक ऐतिहासिक अध्ययन), उत्तरांचल हिमालय के दास–शिल्पकार (अनुसूचित जाति) अतीत एवं वर्तमान, सामाजिक समरसता ग्रन्थमाला प्रकाशन संख्या–1, संपादक जोशी प्रसाद महेश, अल्मोड़ा बुक डिपो, माल रोड, अल्मोड़ा– 263601, उत्तरांचल। (पेज न. 42)
9–राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित योजनायें, स्वास्थ्य विभाग, जनपद पौड़ी गढ़वाल उत्तराखण्ड।
10– समाज कल्याण विभाग उत्तराखण्ड द्वारा संचालित योजनाओं का विवरण, समाज कल्याण विभाग, जनपद पौड़ी गढ़वाल, उत्तराखण्ड।

Publish Research Article
International Level Multidisciplinary Research Journal
For All Subjects

Dear Sir/Mam,

We invite unpublished Research Paper,Summary of Research Project,Theses,Books and Book Review for publication,you will be pleased to know that our journals are

Associated and Indexed,India

- International Scientific Journal Consortium
- OPEN J-GATE

Associated and Indexed,USA

- Google Scholar
- EBSCO
- DOAJ
- Index Copernicus
- Publication Index
- Academic Journal Database
- Contemporary Research Index
- Academic Paper Databse
- Digital Journals Database
- Current Index to Scholarly Journals
- Elite Scientific Journal Archive
- Directory Of Academic Resources
- Scholar Journal Index
- Recent Science Index
- Scientific Resources Database
- Directory Of Research Journal Indexing

Indian Streams Research Journal
258/34 Raviwar Peth Solapur-413005,Maharashtra
Contact-9595359435
E-Mail-ayisrj@yahoo.in/ayisrj2011@gmail.com
Website : www.isrj.org